मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 590/2022
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

हरदेवेन्द्र सिह पुत्र साहब सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
सुरेन्द्र सिह पुत्र साहब सिह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया। वादी

बनाम

कुलविन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
राजवीर कौर पत्नी जसविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
अजमेर सिह पुत्र जगत सिह जाति जटसिख निवासी भारू (पंजाब)
तहसीलदार राजस्व संगरिया। प्रतिवादीगण

दिनांक :– 18.9.2025

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राधेश्याम शर्मा वकील प्रतिवादी 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती हैः–

नाम काशतकार मय वल्दियत एवं मकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम	कब्जा काश्त अनुसार रकबा
अजमेर सिह पुत्र जगत सिह 0.084 हे. विवादित जाति जटसिख सा.भारू पंजाब कुलविन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिह 0.126 हि.विवादित जाति जटसिख सा. शाहपीनी खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा चक प्रतापनगर 10 एनटीडब्ल्यु राजवीर कौर पत्नी जसविन्द्र सिह 0.127 हि. विवादित जाति जटसिख सा.शाहपीनी खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा चक प्रतापनगर 10 एनटीडब्ल्यु	प.मं. इन्द्रगढ़ के चक 8 एनकेआर का खाता सं. 3/2 खाते का योग 0. 253 हेक. (उक्त खाता विवादित श्रेणी का है।)	हरदेवेन्द्र सिह, सुरेन्द्र सिह पि.साहब सिह बहिब जाति जटसिख सा.जण्डवाला सिखान	प.न. 126/156 मु.न. 48 का कि.न. 5/1/0. 202 है., 5/2/0.051 है.गै.मु.रास्ता

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3453 दिनांक 27.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तकरण दर्ज किया जावे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......X......मुब्लिक......X......बाबत......X......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व्सूलयाबी तक......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक......18.9.2025......को खुले न्यायांलय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया